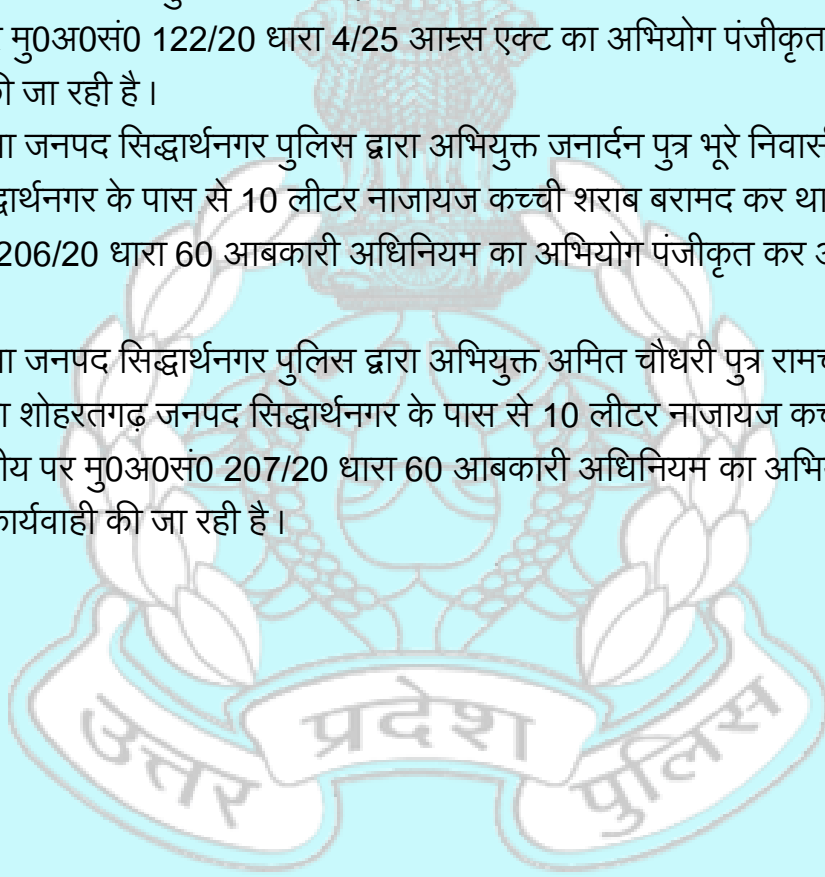


अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27-09-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 27-09-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 106 वाहनों से 91100/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।

- 1- थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त हरिचरण पुत्र निर्मल निवासी मुड़िला राजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
- 2- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जनार्दन पुत्र भूरे निवासी भुजौली थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
- 3- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित चौधरी पुत्र रामचन्दर चौधरी निवासी टेड़िया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



प्रेस नोट दिनांक 28.09.2020
चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री महेंद्र सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 27.06.2020 को दिन मे समय 12.30 बजे श्री रामअशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत मु.अ.सं.250/2020 धारा 379,511 भा.द.वि. व 25 भारतीय तार अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र शाहिद निवासी रोमनदेई थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

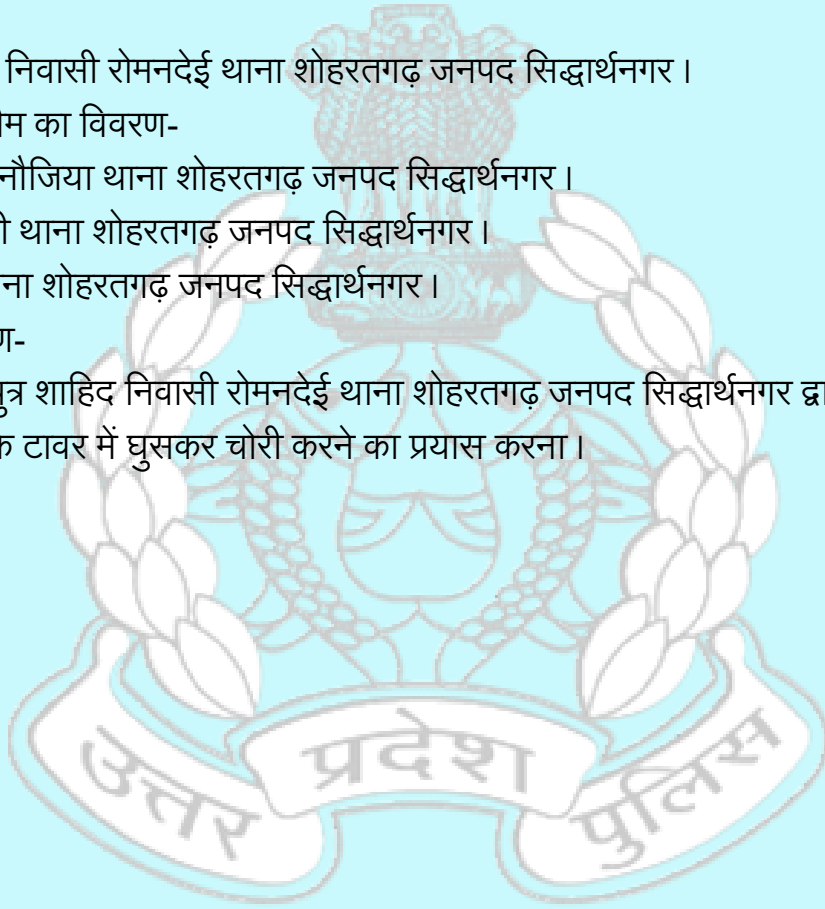
सद्दाम हुसैन पुत्र शाहिद निवासी रोमनदेई थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- 1.उ.नि. अजयनाथ कन्नौजिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. हे का. सुरेश चंद गिरी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. का. प्रदुम्न कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

घटना का संछिप्त विवरण-

अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र शाहिद निवासी रोमनदेई थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम प्रतापपुर में स्थित एयरटेल कंपनी के टावर में घुसकर चोरी करने का प्रयास करना ।



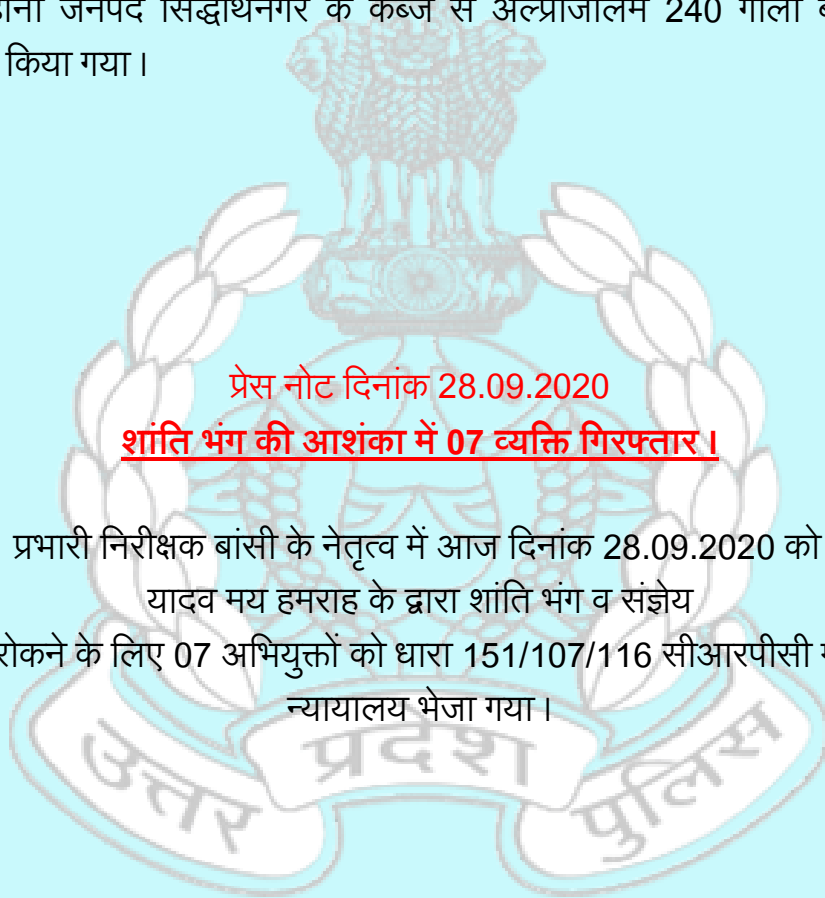
प्रेस नोट दिनांक 28.09.2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री प्रदीप कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर सि०नगर के निर्देशन में आज दिनांक 28-09-2020 को श्री राधेश्याम राय, प्रभारी निरीक्षक मोहाना के कुशल निर्देशन में थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उ०नि० हरिन्द्र पाठक, उ०नि० अशोक कुमार दूबे, मय हमराहीयान का० देशदीपक सिंह, का० हरिकेश यादव, का० दिनेश चन्द यादव द्वारा मु०अ०सं०-208/2020 धारा 8/21 NDPS.Act. बनाम असिकुल्ला पुत्र मो० मंजूर निवासी रामपुर टोला परवानीनगर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से अलप्राजोलम 240 गोली बरामद किया गया तथा मु०अ०सं०-209/2020 धारा 8/21 NDPS.Act. बनाम राबुल्लाह पुत्र जलालुद्दीन निवासी रामनगर टोला परवानीनगर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से अलप्राजोलम 240 गोली बरामद कर अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल रवाना किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28.09.2020

शांति भंग की आशंका में 07 व्यक्ति गिरफ्तार।

श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 28.09.2020 को उपनिरीक्षक श्री अमरेश यादव मय हमराह के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 07 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।



प्रेस नोट दिनांक 28-09-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर में सदर सर्किल का अर्दली कक्ष/ अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगणों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी,, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 28-09-2020 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर में सदर सर्किल के थाना- को. सिद्धार्थनगर, उस्का बाजार, मोहाना, लोटन, कपिलवस्तु व महिला थाना का अर्दली कक्ष/ अपराध समीक्षा गोष्ठी कर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. विवेचकवार सभी मुकदमों की समीक्षा की गयी तथा गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया गया।
- 2- पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे अभियानों में रुचि लेकर कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
- 3- लम्बित पड़े माल-मुकदमाती का शीघ्र निस्तारण करे।
4. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
5. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
6. धोखाधड़ी (419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
7. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
8. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
9. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण।
10. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
11. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
12. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
13. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
14. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
15. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- 16- थाना दिवस के आयोजन में पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों को के अनुपालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।